

परिशिष्ट

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण

जनपद- नैनीताल के अन्तर्गत नैनीताल मालरोड से घटगढ़ तक (कि०मी० 00 से 21 एस.एच.-41) तक आष्टिकल फाइवर केविल डालने हेतु संरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

संलग्न

ग) परियोजना की लागत।

रु० 50.00 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

दूर संचार व्यवस्था सुचारु रूप से संचलित करने हेतु।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए)

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

रोजगार की सम्भावना है।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

कोई नहीं

क) परिवारों की संख्या

-

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

-

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

-

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं) हां
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुसूचक और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) कोई नहीं
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा। संलग्न है।

दिनांक 20/2/2017

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम **For IDEACELLULAR LTD.**
मोहर 

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)